Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 5 ~ Issue 4 (2017) pp.: 82-84
ISSN(Online) : 2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

पंचायत में निर्वाचित महिलाएं और ग्रामीण विकास

डॉ. अल्माज़ जहान

राजनीति विज्ञान विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज बुलंदशहर

सारांश: *भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त होने के अवसर दिये जा रहे हैं। पंचायती राज के माध्यम से आज ग्रामीण और शहरी अंचल की महिलाएं सशक्त होती जा रही हैं। किन्तु उनकी राजनीतिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। किसी भी समाज की श्रेष्ठता या हीनता का निर्णय उस समाज की महिलाओं की स्थिति से होता है। यहाँ महिलाओं की स्थिति से तात्पर्य समाज में महिलाओं का स्थान, उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान, उनके गौरव तथा उस समाज में पुरूषों की तुलना में उनकी दशा से है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, परन्तु यह सुधार बहुधा शहरी क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति में आया है, ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में अधिक सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास में आने वाली बाधाओं व अवरोधकों को दूर कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके व विकास की प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो और उनकी सक्रिय भागीदारी को सम्मान मिल सके।*

मुख्य शब्द – *महिला प्रतिनिधि, प्रशासनिक कार्यकुशलता, सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, ई-पंचायत, महिला आरक्षण, विकासखण्ड, आर्थिक समस्या, सामाजिक दबाव, राजनीतिक पृष्ठभूमि, नियोजन-व्यवस्था ।*

भूमिका -

लोकतंत्र की निम्नतम इकाई पंचायत है और स्थानीय स्वशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतीराज भारत के लिए नई उपलब्धि नहीं है। प्राचीन काल से हमारे देश में इसकी सशक्त परम्परा रही है। स्वतन्त्रता पूर्व से ही महात्मागांधी ने पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से पिछड़े वर्ग के हाथों में सत्ता सौंपने की कल्पना की थी। 1955 में पंचायतीराज व्यवस्था शुरू की गयी लेकिन ये अपने कार्यों तथा उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही। सत्ता पिछडे वर्गो के बजाय गाँव के उच्च और खास वर्गों के हाथों में चली गयी।. कालांतर में सत्ता का विकेंद्रीकरण करके सही अर्थों में पिछड़े वर्ग को भागीदार बनाने का निश्चय किया गया। अप्रैल 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके और महिलाओं केलिए पंचायतों तथा नगर निकायों में एक तिहाई स्थान आरक्षित करके मूल स्तर पर राजनैतिक सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करदी गयी।

भारतीय संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिये जाने के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलाएं अभी पुरुषों से काफी पीछे है, नारी विकास की मंजिल अभी कोसों दूर है। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल है। विकास के अधिकतर प्रमुख क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में भारी अन्तर मौजूद है। इसी अन्तर को कम करने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस सिलसिले को व्यापक रूप देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 को विश्व महिला वर्ष घोषित किया था। परन्तु भारत ने इसे. और अधिक महत्व देते हुए वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। इस दौरान सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। .

भारत का संविधान और निर्वाचन के प्रावधान

स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा सुधार अभियान को गतिशील बनाने का प्रथम अवसर संविधानके माध्यम सेही प्राप्त हुआ। प्रावधान के बावजूद महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता बहुत ही निम्न है। विदित है कि 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण, सदस्य तथा अध्यक्ष पदों के लिए दिया गया है। इसके कारण पंचायतों में तीनों स्तरो-- अर्थात् ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत/ पंचायत समिति और जिला पंचायत में महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 11 लाख है। इनमें से लगभग 2.50 लाख महिलाएं अनुसूचित जाति व जनजाति की है। 73वें संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा पंचायतों के इतिहास में मील के पत्थर के समान है। पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विधान बनाने मात्र से समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता।

73वें संविधान संशोधन का परिणाम है कि पंचायतों में विभिन्न पदों पर 1,63000 और सरपंच पद पर 10,000 महिलाएं सत्ता में शरीक हुई। पुरुष प्रधान समाज में लम्बे समय से उपेक्षा की शिकार तथा उन्हीं के निर्देशों पर चलने वाली उपेक्षित महिलाओं के लिए पंचायतों और स्थानीय निकायों में अपने लिए आरक्षित पदों के माध्यम से निर्वाचित होना एक सुखद आश्चर्य है। देश में एक तिहाई ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषद,नगर क्षेत्र समितियों, नगर पालिका आदि में शासन की वागडोर इन महिलाओं के हाथों में है। यह भूमिका उनके लिए नई है परंतु पंचायती राज के 8साल पूरे हो जाने के पश्चात् भी इन प्रतिनिधियों में राजनैतिक चेतनाका प्रसार तो हुआ है पर जैसा कि सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि ग्रामीण महिलाएं महिला समस्या का अर्थ नहीं समझ पायी है। उनसे यदि उनकी समस्या के बारे में पूछा जाता है तब उनका उत्तर सड़क, पानी, नाली, अस्पताल, मकान होता है। महिला विकास जैसा चिन्तन उनके दिमाग में है ही नहीं। और यही महिलाओं के शोषण का कारण है।

वर्तमान स्थिति में समस्या के उन बिन्दुओं को भी रेखांकित किया जाना चाहिए जो कि इस नवीन व्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक यह कि महिला के स्थान पर उसके पति बैठकों में जाते हैं। महिला प्रतिनिधियों के द्वारा मात्र अंगूठा कागज पर लगवा दिया जाता है। अभी हाल ही में सामाजिक विज्ञान संस्थानं, नई दिल्ली ने महिला राजनैतिक सशक्तिकरण दिवस मनाया था। इस आयोजन में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। इनका प्रमुख कारण निरक्षरता है। उन्होंने तो केवल अंगूठा लगा दिया, यह जाने बिना कि वे किस प्रस्ताव पर अंगूठा लगा रही है। महिला सरपंचों एवं अन्य महिला पदाधिकारियों के पुरुष रिश्तेदारों के द्वारा उनके अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

विकास को समझने केलिए अनेक सूचक विकसित किये गये हैं जिन्हें निम्नांकित रूप से व्यक्त किया जा सकता है- गुणात्मक और विस्तृत साक्षरता, उच्चस्तरीय संचार माध्यम ग्रामीण क्षेत्र का औद्योगीकरण, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि, व्यक्तियों की सभी सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक प्रक्रियाओं में संलग्नता। पंचायती राज व्यवस्था प्रारम्भ की गयी ग्रामीण विकास के उद्देश्य से। 2 अक्टूबर 1959 को नागार में पंचायती राज की शुरूआत करते हुए पं0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश की सच्ची प्रगति तभी होगी जब गांव में रहने वाले लोगों में राजनैतिक चेतना आएगी। देश की प्रगति का सीधा सम्बन्ध गांव की प्रगति से है। यदि गांव उन्नति करेंगे तो भारत एक सबल राष्ट्र बन सकेगा और हमारी प्रगति को कोई रोक नहीं सकेगा। यदि आप अपने निश्चय से डिग जाएंगे तथा आपसी झगड़ों और दलबंदी में पड़ जाएंगे तो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे। पंचायत में सभी को बराबर माना जाना चाहिए। स्त्री-पुरुष ऊचे तथा नीचे का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए हमें एकता और भाईचारे की भावना से आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। .

ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल बनाने में पंचायती राज महत्वपूर्ण रूप से सहायक रहा हैं संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को अधिक स्वतंत्र और प्रभावशाली बनाया गया है तथा महिलाओं को एक तिहाई पद देकर उन्हें समानता देने का प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष -

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष स्वरुप हम कह सकते हैं कि महिलाएं स्वयं जागरूक एवं शिक्षित होकर अपने अधिकारों के महत्व को समझ कर यदि उनका प्रयोग करती हैं और आगे बढ़कर अपनी भूमिका को सशक्त बनाती हैं, तभी पंचायती राज में उनके 50 प्रतिशत आरक्षण का वास्तविक अर्थ साकार होगा अन्यथा केवल संख्यात्मक वृद्धि से उनकी स्थिति में गुणात्मक सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि 50 प्रतिशत आरक्षण द्वारा महिलाओं को नेतृत्व की कमान तो सौंपी गयी है, पर खुले तौर पर वे पराधीन हैं। वे व्यवस्था का संचालन पुरुषों की सहमति के बिना नहीं कर पाती हैं। परन्तु धीरे-धीरे उनमें परिवर्तन आया है। वे विचार-विमर्श एवं प्रशिक्षणों की सहायता से राजनीति में सक्रियता दिखा रही हैं। यदि उत्तराखण्ड में महिलाओं में यह जागरूकता आ जाए, कि वे स्वयं सब कुछ कर सकती हैं, घर संभाल सकती हैं, देश भी संभालना जानती हैं, तो महिलाओं के चेहरों पर तो रौनक लौटेगी ही, साथ ही गाँव, क्षेत्र व देश का विकास भी तीव्र गति से होगा। ऐसे कई उदाहरण हमें आँकड़े एकत्रीकरण के दौरान मिले जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की इन महिला प्रतिनिधियों ने कई तरह की समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। जिनमें कई बार समाज द्वारा महिला प्रतिनिधियों को पुरूष प्रतिनिधियों के समान महत्त्व न देकर पुरूष मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता रहा है, तो कई बार विभागीय अधिकारियों द्वारा महिला प्रतिनिधियों में नेतृत्व क्षमता विकास व पंचायतों के काम को लेकर समय से उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

सन्दर्भ सूची

[1]. ए.एस. अल्तेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ0 170-72.

[2]. शुक्रनीति, 1/192.

[3]. भारत-प्रकाशन विभाग, 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2002 पृ0 सं0 456.

[4]. त्रिपाठी, राजमणि, 'पंचायतीराज व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण', कुरूक्षेत्र पत्रिका, 2001, पृ0 सं0 13.

[5]. सिंह, निशांत, पंचायती राज और महिलाएं', सुनील साहित्य, दिल्ली, पृ0 सं0 08

[6]. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, प्वाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007, पृ0 सं0 123.

[7]. कुमार, मनीष 'ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका', कुरुक्षेत्र, अगस्त 2007, पृ0 सं0-27.

[8]. आउटलुक 2006 साप्ताहिक पंचायतों का तूफान; 22-28 अप्रैल 2006 ; पृ0 सं0-32.

[9]. पंचोला, राखी एवं सेमवाल, एम एम : पर्वतीय महिला एवं पंचायत राज; रिसर्च इण्डिया प्रेस, न्यू देहली, 2001, पृ० 203.

*Corresponding Author: डॉ. अल्माज़ जहान